

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

शुल्कादि वनाम
 किरम मुकदमा नं.
 50/2022 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज
31-8-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारण उपस्थित। पीठस्थान अधिकारी और/अन्य कार में जस्टिस नोटिस में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19.9.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
19-9-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारण उपस्थित। पीठस्थान अधिकारी और/अन्य कार में जस्टिस नोटिस में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25-10-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
25-10-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारण उपस्थित। पीठस्थान अधिकारी और/अन्य कार में जस्टिस नोटिस में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-01-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
23.01.2024	<p>वकील प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी इकजाई तारीख पेशी 12.02.2024 से पूर्व तलब होने पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थीया ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को इसी स्तर पर विद्रा कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्रा कर खारिज किए जाने की स्वीकृति दी है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>

[Signature]
 23/01/24
 दिलीप सिंह
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
 विद्या-नीमखयन